



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
e-Mail: dcrobangalore@gmail.com Website: https://robangalore.kvs.gov.in



ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಘಟನೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು

(ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ)

ಕೆ. ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560042

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलूरु

(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान)

कै. कामराज रोड / बेंगलूरु - 560042

Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bengaluru Region

(An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India)

K. Kamaraj Road / Bengaluru - 560042

080-25543757 (DC), 25566360 / 25301227 (AC/AO/FO)

सं.एफ.13-230/केवीएस(बीजीआर)/2022-23/लेखा-पेंशन

दिनांक :13.03.2023

सूचना


विषय: मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह में राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन

केविएस (मुख्यालय) नई दिल्ली द्वारा पत्र संख्या एफ.110230(विविध)2022-केविएस (मुख्यालय)/पी एंड आई/2144 दिनांक 10.03.2023 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुपालन में, पेंशन अदालत 20.03.2023 (सोमवार) को डिजिटल तकनीक के माध्यम से केविएस, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच आयोजित की जाएगी।

पेंशनभोगी अपनी लंबित समस्याओं, यदि कोई हो, तो 15.03.2023 से पहले ई-मेल (pensionadalatkvsrobgr2023@gmail.com) के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु को प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि मामले की जांच की जा सके। प्राप्त शिकायतों को केवल डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। अतः इस कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से आने की **आवश्यकता नहीं है।**

पेंशनभोगियों को अपनी शिकायत को आसान निपटान के लिए निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। पेंशन अदालत में केवल बेंगलूरु क्षेत्र से संबंधित मामलों की जांच की जाएगी।

क्र.सं.	प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण	विवरण
01	पेंशनभोगी का नाम	
02	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
03	सेवानिवृत्ति के समय केवी का नाम	
04	सेवानिवृत्ति की तिथि	
05	पीपीओ संख्या और दिनांक	
06	शिकायत का सार	
07	एसबीआई बैंक खाता संख्या।	
08	मोबाइल नं.	
09	ईमेल आईडी	
10	टिप्पणियाँ, यदि कोई हो	


(धर्मेंद्र पटेल)

उप आयुक्त

वितरण: प्राचार्य, सभी केन्द्रीय विद्यालय बेंगलूरु संभाग - उपरोक्त नोटिस को केवि वेबसाइट पर अपलोड करे और पेंशन अदालत के बारे में सूचित करे। नोटिस की एक प्रति विद्यालय में एक प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाय।